::न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश डूंगरपुर (राज0)::

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शशि गजराना R.J.S.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या : 19/2016 (CIS Number 665/14)

CNR No. - RJDG010002032014

राजस्थान राज्य । —अभियोगी—

बनाम

1. अकबर पिता गुलाब कालिया आयु 34 वर्ष सिद्धिका अकबर मस्जिद टेम्पो स्टेण्ड के पास मुल्तानपुरा थाना यशोवर्धन नगर जिला मंदसौर (म.प्र.) **(मफरूर)**
2. आशिक पिता ईस्माईल तितरोदिया आयु 34 वर्ष निवासी बामणिया डेरा थाना यशोवर्धन नगर जिला मंदसौर (म.प्र.) ।

—अभियुक्तगण।

अपराध अंतर्गत धारा 3/8, 5/8, 6 व 9 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का नियमन) अधिनियम, 1995

उपस्थित :—

1— श्री मकसुद अली, अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

2— श्री अबसार अहमद, अधिवक्ता, अभियुक्त आशिक की ओर से।

— **निर्णय** — दिनांक 22.08.2023

(1) यह पत्रावली श्रीमान् सेशन न्यायाधीश, डूंगरपुर द्वारा दिनांक 27.06.2016 को विचारण हेतु इस न्यायालय में अंतरित होकर प्राप्त हुई। जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

(2) प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 10.04.2014 को फरियादी दिलीपसिंह, थानाधिकारी पुलिस थाना बिछीवाडा की पर्चा कायमी प्रदर्श पी 09 पर पुलिस थाना बिछीवाडा में मुकदमा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 119/2014 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 5, 6, 8, 9 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का नियमन), अधिनियम,1995 के तहत दर्ज किया गया।

(3) पर्चा कायमी के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 10.04.2014 को प्रातः 6:15 बजे पर जरिए मुखबीर सूचना मिली कि एक ट्रक नंबर आरजे—09 जीए 1764 में गोवंश को रतनपुर होकर गुजरात में बुचडखानों में तस्करी हेतु जाने वाले है। मुखबीर की सूचना विश्वसनीय होने से चौकी प्रभारी रतनपुर को उपस्थित रहने का निर्देश देकर वह मय जाप्ता सरकारी जीप में गंभीरसिंह कानि. 156 सुनिल कानि. नं. 652 व चालक सुरेन्द्रसिंह नं. 698 के साथ के थाने से रवाना होकर 6:30 एमएपर चौकी रतनपुर पहुंचे। जहां चौकी प्रभारी देवेन्द्रसिंह नं. 472 धर्मेन्द्रसिंह नं. 32 धर्मपाल नं. 649 गजराजसिंह नं. 326 गजेन्द्रसिंह नं. 546 व धर्मेन्द्रकुमार नं. 602 बावर्दी उपस्थित मिले।

कानि. गजेन्द्रसिंह को मौतबिरान तलबी हेतु भेजा और लालशंकर व दिनेश ने मौतबीर बनने की सहमति व्यक्त की, जिस पर उन्हें मौतबीर मामूर कर एनएच 8 उदयपुर से अहमदाबाद तरफ जाने वाले रोड पर नाकाबंदी प्रारम्भ की। समय 7:45 एएम पर सूचना मुताबिक ट्रक नंबर आरजे–09 जीए 1964 को बिछीवाडा तरफ से उसका चालक तेज रफ्तार से चलाता हुआ आया जिसे उसने रूकवाने की कोशिश की तो ट्रक के चालक ने ट्रक को तेज रफ्तार से नाकाबंदी तोडते हुए शामलाजी तरफ भाग गया जिसका जाप्ते ने पिछा किया किया तो ट्रक चालक ने ट्रक को अणसोल के आगे डिवाईडर के पास रोड साईड में खडा किया और एक व्यक्ति चालक साईड से आसमानी रंग की जींस पेंट व टीशर्ट पहने कूदकर भाग व खलासी साईड में पिले रंग की जींस व काले रंग का शट पहने व्यक्ति जंगल की तरफ भागा, जिन्हें जाप्ते ने पिछा कर पकडा। ट्रक चालक ने अपना नाम अकबर व खलासी साईड से कूदे व्यक्ति ने अपना नाम आशिक होना बताया। ट्रक में क्या भरा है, पूछने पर दोनों गोवंश भरे होना बताया। ट्रक के पास जाने पर मवेशियों के रंभाने की आवाज आने पर ट्रक पर ढका तिरपाल हटाकर देखा तो अंदर डबल पार्टेशन में बैलो व बछडो के पैर गले से निर्दयतापूर्वक बांधकर अंदर ठूंस–ठूंसकर भरे नजर आये। मौके पर खाली करना संभव नहीं होने से ट्रक को चलवाकर मय पकडे व्यक्तियों एवे मौतबिरान के थाने परिसर में लाये और फोटोग्राफी करवाकर मजदूरों की सहायता से गोवंश को नीचे उतरवाकर गिनमती की तो उपर के पार्टेशन में कुल 18 बछडे व 12 बैल जीवित अवस्था में एवं निचे के पार्टेशन में 12 बैल व 16 बछडे जीवत तथा एक वैल व 2 बछडे मृत पाये गये। ट्रक के टूल बॉक्स में ट्रक की आर.सी. इन्श्योरेन्स, नेशनल परमीट पार्ट–ए रखा पाया। दोनों से ट्रक में भरे बैलो व बछडो के परिवहन बाबत वैध कागजात व परमीट चाहा तो उन्होंने कोई उनके पास कोई परमीट नहीं होना बताया। अभियुक्तगण द्वारा बिना अनुज्ञा पत्र के कुल 61 गोवंश भरकर परिवहन कर तस्करी कर ले जाने का जिनमें 1 बैल व 2 बछडो की मृत्यु कारित हो जाने का कृत्य राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का नियमन)अधिनियम, 1995 की धारा 3, 5, 6, 8, 9 के तहत अपराध पाया गया।

(4) मामले में तफ्तीश पूर्ण कर पुलिस थाना बिछीवाडा ने अभियुक्तगण अकबर व आशिक के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 3, 5, 6, 8, 9, राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का नियमन) अधिनियम, 1995 के तहत आरोप पत्र अदालत में पेश किया।

(5) अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 3/8, 5/8, 6 व 9 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का नियमन) अधिनियम, 1995 के

आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार कर अंवीक्षा चाही।

(6) **प्रकरण में अभियुक्त अकबर मफरुर है, यह निर्णय अभियुक्त आशिक के संबंध में ही पारित किया जा रहा है।** प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पीडब्ल्यू 1 देवेन्द्रसिंह (चश्मदीद गवाह), पीडब्ल्यू 2 गंभीरसिंह (चश्मदीद गवाह), पीडब्ल्यू 3 सुनिल (चश्मदीद गवाह), पीडब्ल्यू 4 धर्मेन्द्रसिंह (चश्मदीद गवाह), पीडब्ल्यू 5 हंसा देवी (जब्तशुदा गोवंश को अवेराई एवं चराई हेतु प्राप्त करने), पीडब्ल्यू 6 धर्मपाल (चश्मदीद गवाह), पीडब्ल्यू 7 गजराजसिंह (चश्मदीद गवाह), पीडब्ल्यू 8 लालशंकर (फर्द जब्ती बछडे/बैल, ट्रक, सुपुर्दगी बछडों तथा फर्द गिरफ्तारी का गवाह), पीडब्ल्यू 9 दिलीपसिंह (फरियादी), पीडब्ल्यू 10 धर्मेन्द्र कुमार (चश्मदीद गवाह), पीडब्ल्यू 11 गजेन्द्रसिंह (चश्मदीद गवाह), पीडब्ल्यू 12 देवेन्द्रसिंह (फोटोग्राफर), पीडब्ल्यू 13 अर्जूनसिंह (तफ्तीश कुनिन्दा), पीडब्ल्यू 14 सुरेन्द्रसिंह (चश्मदीद गवाह), पीडब्ल्यू 15 जाहिद अली (धारा 133 एमवी एक्ट के नोटिस व फर्द पेशकशी कागजात का गवाह), पीडब्ल्यू 16 डॉ. अनिल शर्मा (जब्तशुदा बछडो के चोट प्रतिवेदन प्रपत्र व पोस्टमार्टम रिपोर्ट का गवाह) व पीडब्ल्यू 17 दिनेश (फर्द जप्ती व गिरफ्तारी अभियुक्त का गवाह) के बयानात लेखबद्ध किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 1, फर्द सुपुर्दगी जीवित बैल/बछडे प्रदर्श पी 2, फर्द सुपुर्दगीनामा बैल/बछडो को श्रीमती हंसा देवी को सुपुर्द करने प्रदर्श पी 3, फर्द जब्ती बैल/बछडे प्रदर्श पी 4, फर्द सूरते हाल मृत बछडे/बैल प्रदर्श पी 5, फर्द जब्ती ट्रक नंम्बर आरजे–09 जीए 1764 प्रदर्श पी 6, फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त आशिक प्रदर्श पी 7, फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त अकबर प्रदर्श पी 8, जब्तशुदा ट्रक व गोवंश के फोटोग्राफ प्रदर्श पी 9 से लगायत प्रदर्श पी 12, पर्चा कायमी पुनः प्रदर्श पी 9, चाक एफआईआर पुनः प्रदर्श पी 10, चोट प्रतिवेदन प्रपत्र एवं पीएम रिपोर्ट बाबत तहरीर प्रदर्श पी 13, मृत बछडे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 14, मृत बछडे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 15, मृत बछडे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 16, जीवित बछडे/बैल के चोट प्रतिवेदन प्रपत्र प्रदर्श पी 17 से लगायत प्रदर्श पी 31 तक, ट्रक नंबर आरजे–09 जीए 1764 के मालिक जाहिद अली को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी 32 व फर्द पेशकशी मुख्तियारनामा वाहन सं. आरजे–09 जीए 1764 के मालिक जाहिर अली द्वारा अभियुक्त अकबर के नाम प्रदर्श पी 33 प्रदर्शित कराये गये।

(7) अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्त आशिक के कथन तहत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश नहीं की।

(8) विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिक्ता अभियुक्त की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(9) विद्वान अपर लोक अभियोजन की बहस है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। गवाहान की साक्ष्य विश्वसनीय है। साक्ष्य में कोई गंभीर विरोधाभास नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे साबित है कि पुलिस थाना बिछीवाडा में दौराने नाकाबंदी ट्रक नंबर आरजे-09 जीए 1764 को रूकवाया जिसमें चालक अकबर एवं दूसरा अभियुक्त आशिक बैठा हुआ था। ट्रक के तिरपाल को हटाकर देखा गया तो उसमें 2 पार्टेशन में गोवंश भरा हुआ था जिनकी संख्या 61 थी जिसमें 58 जीवित और 3 मृत गोवंश थे। उक्त गोवंश को पैरो और गले में रस्सी बांध रखी थी। उक्त गोवंश को परिवहन करने का अभियुक्त के पास कोई लाईसेन्स नहीं था। गोवंश को गुजरात कत्लखाने ले जाया जा रहा था, यह तथ्य अभियोजन साक्ष्य से पूर्णतः साबित है। गोवंश की फोटोग्राफी भी की गई। प्रकरण के जब्ती अधिकारी की साक्ष्य को अन्य चश्मदीद गवाहान की साक्ष्य से संपुष्टि प्राप्त होती है तथा 3 गोवंश मृत व अन्य 61 जीवित थे, जिनके शरीर पर चोटे आई थी, इस तथ्य की ताईद चिकित्सकीय साक्ष्य से भी होती है। ट्रक वक्त घटना अभियुक्त के आधिपत्य में था, जिसके संबंध में अभियुक्त के द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है।

(10) इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की बहस है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि जो ट्रक प्रकरण में जब्त किया जाना बताया गया है, उसका मालिक या चालक अभियुक्त रहा हो। गोवंश को गुजरात कत्लखाने या किसी अन्य कत्लखाने ले जाया जा रहा था, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। जब्ती अधिकारी की साक्ष्य व अन्य चश्मदीद गवाहान की साक्ष्य एक दूसरे की साक्ष्य से महत्वपूर्ण विरोधाभास लिये है। जिस व्यक्ति को मवेशी सुपुर्द किये गये, उसने सशपथ बयान में बताया है कि उसे पता नहीं कितने मवेशी जीवित थे और कितने मर गये, यह तथ्य अभियोजन केस पर संदेह उत्पन्न करता है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं है।

(11) मौजूदा मामले में अभियोजन की ओर से कुल 17 गवाहान के बयानात लेखबद्ध किये गये है। जिनकी साक्ष्य इस प्रकार है। गवाह पीडब्ल्यू-1 देवेन्द्रसिंह ने कथन किया है कि वह दिनांक 10.04.2014 को पुलिस चौकी रतनपुर पुलिस थाना बिछीवाडा में हेड कान्स्टेबल के पद पर तैनात था। उस दिन एसएचओ दिलीपसिंह झाला साहब ने सुबह 6:00 बजे के आसपास उसे मोबाईल पर सूचना दी कि अपने जाब्ते को लेकर बावर्दी उपस्थित रहे। फिर कुछ समय पश्चात एसएचओ साहब मय जाब्ता व सरकारी जीप के उपस्थित आये जिन्होंने बताया कि एक गोवंश की ट्रक आने

वाली है मुखबीर की सूचना है, नाकाबंदी करनी है जिस पर दो मौतबिरानों को तलब किया। एसएचओ साहब मय जाब्ता एवं उसने व उसके चौकी के उपस्थित जाब्ते ने चौकी के सामने सुबह 6:45 पर नाकाबंदी प्रारंभ की। दौराने नाकाबंदी सुबह 7:30 बजे एक ट्रक आरजे–09 1764 आई जिसको एसएचओ साहब ने हाथ से ईशारा किया व ट्रक को रूकवाने की कोशिश की लेकिन ट्रक का चालक ट्रक को लेकर भाग गया। वह गुजरात शामलाजी थाने की हद में चला गया जिसको अणसोल डिवाईडर के पास ट्रक को रोककर दो व्यक्ति उतरकर भागने लगे, जिसका पिछा कर पकडा। उनका नाम पता पूछा तो चालक ने अपना नाम अकबर और दूसरे व्यक्ति ने ईलियास बताया, फिर कहा कि दूसरे ने आशिक बताया। फिर ट्रक को लेकर थाने पर आये एवं ट्रक का तिरपाल हटाकर देखा तो अंदर दो पार्टेशन में 61 गोवंश भरे हुए थे जिन्हें लोगो की मदद से ट्रक से उतारा जिसमें 58 जीवित और 3 मृत गौवंश मिले। एसएचओ साहब ने पर्चा कायमी कर कार्यवाही प्रांरभ की और उन दोनों व्यक्ति से एसएचओ साहब ने परिवहन और परमिट के बारे में पूछा तो उन्होने नही होना बताया और जो गौवंश भरा हुआ उनको ठूंस–ठूंस कर व निर्दयतापूर्वक भरा हुआ था, जिनको गले व पैरो पर रस्सीबांध कर भरा हुआ था। दूसरे दिन एसएचओ साहब ने नक्शा मौका का निरीक्षण कर घटनास्थल प्रदर्श पी–1 मूर्तिब किया, जिस पर ए से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इस कार्यवाही में सुनिल, गंभीरसिंह व चालक सुरेन्द्रसिंह एसएचओ साहब के साथ आये थे एवं चौकी से वह, धरमपाल, धर्मेन्द्रसिंह, गजेन्द्रसिंह, गजराजसिंह व धर्मेन्द्र चौधरी सभी थे।

(12) पीडब्ल्यू 2 गंभीरसिंह गवाह ने कथन किया है कि वह दिनांक 10.04.2014 को पुलिस थाना बिछीवाडा थाने में कान्स्टेबल के पद पर तैनात था। उस दिन सुबह करीब 6:15 ए.एम. पर एएचओ साहब दिलीप सिंहजी को सूचना मिली कि एक ट्रक आर जे 09 जीए 1764 जिसमें बछडे व बैल भरे होकर गुजरात तरफ बुचडखाने ले जा रहे है। सूचना पर एएचओ साहब के साथ वह, कानि. सुनिल मय सरकारी जीप चालक सुरेन्द्रसिंह के थाने से रवाना होकर चौकी रतनपुर पंहुचे जहां चौकी प्रभारी देवेन्द्रसिंह मय जाब्ता कानि. धर्मेन्द्रसिंह, धरमपाल, धर्मेन्द्रकुमार, गजेन्द्रसिंह, गजराजसिंह उपस्थित मिले। एएचओ साहब ने गजेन्द्रसिंह को मौतबीरान तलबी हेतु बताया तो मोतबीर लालशंकर ननोमा व दिनेश भगोरा को उपस्थित लाया, जिन्हें एसएचओ साहब ने मोतबीर मामूर कर उन्हें व मोतबीरों को मुखबीर सूचना से अवगत करा चौकी के सामने एन.एच. 8 रोड उदयपुर से अहमदाबाद जाने वाली साईड पर नाकाबंदी शुरू की।? दौराने नाकाबंदी समय सुबह 7:45 एएम पर मुताबिक सूचना मुखबीर के उक्त ट्रक बिछीवाडा तरफ से उसका चालक तेज गति से चलाता हुआ आया तो उनके द्वारा

रोकने का प्रयास किया लेकिन ट्रक नाकाबंदी तोडता हुआ गुजरात तरफ भागा, जिसे पीछा किया तो अणसोल के पास ट्रक चालक व उसमें बैठा अन्य व्यक्ति दोनो ट्रक को खडा कर भाग गये जिनका पीछा कर उनको पकडा और उनका नाम पता पूछा तो चालक सीट की तरफ कूद भागे व्यक्ति ने अकबर तथा खलासी साईड से भागे व्यक्ति ने आशिक होना बताया और दोनो को पकड कर ट्रक के पास लाये। ट्रक पर तिरपाल बंधा हुआ अंदर से मवेशियों के रंभाने की आवाज आयी जिस पर तिरपाल हटाकर देखा तो डबल पार्टेशन में बैल व बछडे ठूंस–ठूंस कर निर्दयतापूर्वक सिंग व पैर रस्सी से आपस में बंधे हुए नजर आये। ट्रक को कानि. धर्मेन्द्र कुमार से चलवाकर थाना परिसर में मय मौतबीरान के व पकडे व्यक्तियों को लेकर आये, जहां फोटोग्राफी करवा मजदूरों से अंदर भरे बैल व बछडे को खाली करवाया तो उपर के पार्टेशन में कुल 30 बैल व बछडे व नीचे के पार्टेशन में 28 जीवित व 3 मृत बैल व बछडे पाये गये। एसएचओ साहब ने जीवित बैल व बछडो का मेडिकल व मृत बछडो का पोस्टमार्टम करवाया एवं जीवित बैल व बछडो को सरपंच ग्राम पंचायत बिछीवाडा को सुपुर्द किया। चालक व खलासी को गोवंश अधिनियम में गिरफ्तार किया व ट्रक को जब्त किया। उसके सामने अर्जुनसिंह एएसआई ने मौके का निरीक्षण कर निरीक्षण घटनास्थल प्रदर्श पी 1 मूर्तिब किया जिसके सी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

(13) पीडब्ल्यू 3 सुनिल गवाह को अभियोजन ने पक्षद्रोही घोषित किया है, जिसने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 10.04.2014 को पुलिस थाना बिछीवाडा में कान्सटेबल के पद पर तैनात था। उस दिन एसएचओ दिलीपसिंह को जरिए मुखबीर सूचना मिली कि उदयपुर तरफ एक ट्रक गोवंश को भरकर गुजरात तस्करी हेतु ले जाया जा रहा है, जिसके नम्बर आरजे–09 जीए 1764 है जिसकी तुरंत नाकाबंदी की जाये, जिस पर एसएचओ, वह व गम्भीरसिंह एवं ड्राईवर सुरेन्द्रसिंह थाने की गाडी आरजे–12 यूए 1577 लेकर करीब 6:15 एएम पर चौकी रतनपुर तरफ जाने रवाना हुए। सुबह 6:30 एएम पर रतनपुर चौकी पर पंहुचे, जहां पर चौकी प्रभारी देवेन्द्रसिंह मय जाब्ते के एसएचओ के निर्देशानुसार वहां पर सभी उपस्थित मिले। कान्सटेबल गजेन्द्र जाखड को मोतबीर तलबी हेतु कहा गया जिस पर वह मोतबीर लेकर आया और करीब 6:45 एएम पर उदयपुर से अहमदाबाद जाने वाले रोड पर एसएचओ व उन्होंने नाकाबंदी शुरू की, समय करीब 7:45 एएम पर उदयपुर तरफ से ट्रक नम्बर आरजे–09 जीए 1764 का चालक तेज रफ्तार से चलाता हुआ उनकी तरफ आया जो नाकाबंदी को तोडते हुए गुजरात सीमा में घुस गया, जिसका उन्होंने पीछा करके पुलिस थाना शामलाजी की सीमा में रोका तो ड्राईवर साईड से और एक व्यक्ति कन्डक्टर साईड से उतर कर भाग रहे थे जिनको पीछा करके पकडा और उनका नाम

पूछा तो ड्राईवर साईड वाले व्यक्ति ने अकबर और कन्डक्टर साईड वाले व्यक्ति ने इलाईस होना बताया। ट्रक को थाने पर लेकर आये और तिरपाल खुलवाकर देखा तो डबल पार्टेशन में गोवंश ठूंस–ठूंस कर रस्सियों से पैर व गर्दन बांधकर भरा हुआ था जिसकी फोटोग्राफी करवायी गई तथा कुल 61 गौवंश थे जिनमें से 3 मृत अवस्था में थे। परिवहन के संबंध में थानेदार साहब ने पूछा था तो उन्होंने नहीं होना बताया। फिर दूसरे दिन अर्जुनसिंह एएसआई ने निरीक्षण कर फर्द निरीक्षण घटनास्थल प्रदर्श पी–1 बनाई जिसके ई से एफ भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

(14) पीडब्ल्यू 4 धर्मेन्द्रसिंह गवाह ने कथन किया है कि वह दिनांक 10.04.2014 को रतनपुर चौकी, पुलिस थाना बिछीवाडा में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उस दिन दिलीपसिंह थानेदार साहब ने सुबह 6:15 ए.एम. पर देवेन्द्रसिंहजी हेडसाहब को टेलिफोन से मय जाब्ता के चौकी पर उपस्थित रहने बताया। सुबह 6:30 एएम पर थानेदार दिलीपसिंहजी मय जाब्ता गंभीरसिंह, सुनिल, जीप सरकारी चालक सुरेन्द्र के चौकी पर आये और चौकी पर वह, हेड साहब देवेन्द्रसिंह, कांस्टेबल धरमपाल, गजेन्द्रसिंह, गजराजसिंह, धर्मेन्द्र कुमार उपस्थित मिले। थानेदार साहब ने कांस्टेबल गजेन्द्र को मौतबीर तलबी के लिए भेजा जिस पर कानि. दो मौतबीर तलब कर लाया। थानेदार साहब मय जाब्ता के सुबह 6:45 एएम पर नाकाबंदी शुरू की। चौकी के सामने एन.एच. 8 रोड उदयपुर से अहमदाबाद जाने वाले रास्ते पर नाकाबंदी शुरू की, दौराने नाकाबंदी सुबह 7:45 एएम पर सूचना अनुसार ट्रक आरजे–09 1764 आया, जिसे थानेदार साहब और जाब्ता ने रोकने का ईशारा किया लेकिन ट्रक का चालक ट्रक तेज गति से गुजरात तरफ भगा ले गया, जिसका दिलीपसिंह थानेदार मय जाब्ता ने पिछा किया तो ट्रक का चालक अणसोल से आगे ट्रक को खडी की और ट्रक से दो व्यक्ति उतर कर भागे, जिनका पीछा कर पकडा। एक व्यक्ति ने ट्रक का चालक हो अपना नाम अकबर निवासी मुलतानपुरा व दूसरे ने अपना नाम आशिक होना बताया और ट्रक में क्या भरा है, पूछा तो बैल व बछडे होना बताया। ट्रक का तिरपाल हटाकर देखा तो अंदर डबल पार्टेशन में बैल व बछडो के पैर बांधकर ठूंस–ठूंस कर भर रखे थे, उक्त बैल व बछडे परिवहन करने के कागजात के बारे में थानेदार साहब ने पूछा तो नहीं होना बताया। मौके पर बैल व बछडे खाली कर गिनती करना संभव नहीं होने से ट्रक को चालक से चलवाकर थाना परिसर में लेकर आये और फोटोग्राफी करा ट्रक को खाली कराया तथा गिनती की गई तो ट्रक कुल 61 बैल व बछडे भरे हुए पाये जिनमें तीन बैल व बछडे मृत अवस्था में मिले। थानेदार साहब ने मौतबीरान के समक्ष बैल व बछडों व वाहन ट्रक को जब्त किया व मुलजिमान को गिरफ्तार किया।

(15) पीडब्ल्यू 5 हंसा देवी गवाह ने कथन किया है कि वह दिनांक 10.04.2014 को ग्रांम पंचायत बिछीवाडा में सरपंच के पद पर पदस्थापित थी। उस दिन पुलिस थाना बिछीवाडा में 24 बैल और 34 बछडो को थाना परिसर में रखने व चारा पानी की व्यवस्था नहीं होने से अस्थाई तौर पर रखरखाव व चारा पानी की व्यवस्था हेतु ग्राम पंचायत बिछीवाडा को सुपुर्द किये थे जिसकी फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी–2 है, इस संबंध में प्राप्त किया सुपुर्दगीनामा प्रदर्श पी–3 है जिनके ए से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

(16) पीडब्ल्यू 6 धर्मपाल गवाह ने कथन किया है कि दिनांक 10.04.2014 को रतनपुर चौकी थाना बिछीवाड़ा पर वह कान्स्टेबल के पद पर कार्यरत था। एसएचओ दिलिपसिंह झाला ने हैड कानि. देवेन्द्र सिंह को टेलिफोन से सुबह 6:15 सूचना दी कि मय जाब्ता बावर्दी तैयार रहे और 6.30 बजे के करीब एसएचओ मय जाब्ता चौकी पर गम्भीरसिंह, सुनिल और गाड़ी का चालक के साथ आए और एसएचओ साहब ने मुखबीर मामूर करने की सूचना दी जिसमें वाहन आरजे–09 जी 1764 जो उदयपुर से आने वाला था और उन्होंने 6.45 बजे नाकाबंदी शुरू कर दी। उक्त अंकित नम्बर वाला ट्रक 6.45 बजे के करीब आता नजर आया जिसे रोकने का इशारा किया तो ट्रक रूका नहीं और नाकाबंदी को तोडकर भाग गया। जिसका पिछा किया तो ट्रक चालक ने अड़सोर के पास ट्रक को रोड के साईड में खड़ा किया और एक व्यक्ति ड्राईवर साईड से और एक व्यक्ति खलासी साईड से उतर कर जंगल की तरफ भागे जिनका उन्होंने पिछा कर पकड़ लिया। एक व्यक्ति ने स्वयं को ट्रक चालक बताकर अकबर पिता गुलाब और दूसरे ट्रक का खलासी होना नाम आसिफ होना बताया। दोनों से पूछा कि ट्रक में क्या है तो कहा की बैल भरे हुए है। ट्रक के पास गए तो उसमे से बछड़ो की आवाज आ रही थी। ट्रक का तिरपाल हटा कर देखा तो अंदर डबल पार्टेशन में बैल भरे हुए थे। बैलो के गले और पैर बांधकर ठूंस–ठूंस कर भरे हुए थे। ट्रक का मौके पर खाली करना संभव नहीं होने से ट्रक के चालक और खलासी व मोतबिरों के थाने पर लाए। ट्रक खाली किया हो उसमे उपर के पार्टेशन में 12 बैल और 18 बछडे और नीचे के पार्टेशन में 12 बैल और 16 बछडे व एक बैल और दो बछडे मरे हुए थे। एसएचओ साहब ने मौके पर कागजात के बारे में पूछा था तो नहीं होना बताया। गाड़ी के कागजात और इंश्योरेंस आदि मिले लेकिन बछड़ो को ले जाने का परमिट वगैरह नहीं मिला। उक्त बछड़े गुजरात बुचड़खाने ले जा रहे थे, जो मुल्जिमानों ने बताया था।

(17) पीडब्ल्यू 7 गजराजसिंह ने कथन किया है कि वह दिनांक 10.04.2014 को थाना बिछीवाड़ा की रतनपुर चौकी पर कान्स्टेबल के पद पर कार्यरत था। उस रोज दिलीप सिंह एसएचओ ने समय करीब 6.15 एएम पर जरिए टेलिफोन हैड कानि. को

बताया कि वे सभी बावर्दी चौकी पर उपस्थित रहे तथा समय करीब 6.30 एएम पर एसएचओ मय जाब्ता कानि. गम्भीरसिंह, सुनिल कुमार मय सरकारी जीप आरजे–12 यूए 1577 चालक सुरेन्द्रसिंह के चौकी पर उपस्थित आए। एसएचओ ने उन्हें मुखबीर सूचना से अवगत कराया कि एक ट्रक नम्बर आरजे–09 जीए 1764 का आ रहा है, जिसमें गोवंश भरा होने की सूचना मिली है जिस पर कानि. गजेन्द्रसिंह नम्बर 546 को एसएचओ ने मोतबीरों की तलबी हेतु रवाना किया जिस पर कानि. ने मौतबीर लालशंकर व दिनेश को लाकर पेश किया जिन्हें एसएचओ ने मुखबीर सूचना से अवगत करा मौतबीर रहने हेतु बताया। समय करीब 6.45 एएम पर एसएचओ मय जाब्ता ने एनएच 8 रोड उदयपुर से अहमदाबाद जाने वाले पर नाकाबंदी शुरू की। दौराने नाकाबंदी समय करीब 7.45 एएम पर एक उक्त नम्बर का ट्रक तेज गति से चलाता हुआ आया जिसे एसएचओ व जाब्ता ने रोकने का ईशारा किया तो वह नाकाबंदी तोड़ता हुआ सामलाजी तरफ भागा जिसका जाब्ता ने पिछा किया तो अणसोल के पास रोड के डिवाईडर के साईड में लगाकर ट्रक की चालक सीट की तरफ से एक व्यक्ति उतर कर भागा जिसने नीले कलर की जिंस व शर्ट पहन रखा था तथा खलासी तरफ से एक अन्य व्यक्ति उतरकर भागा जिसने पीले रंग की जिंस व काले रंग का शर्ट पहन रखा था। एसएचओ मय जाब्ता ने उक्त व्यक्तियों का पिछा कर उन्हें पकड़ा तथा चालक तरफ से उतरे व्यक्ति को पूछा तो उसने चालक होकर अपना नाम अकबर एवं खलासी तरफ से उतरे व्यक्ति ने अपना नाम आशिक होना बताया। उक्त व्यक्तियों से ट्रक मे ंक्या भरा है, पूछने पर गोवंश भरा होना बताया, जिस पर ट्रक के पास जाकर देखा तो पशुओ के रम्भाने की आवाज आने से ट्रक का तिरपाल हटा कर देखा तो उसमे डबल पार्टीशन में ठूंस–ठूंस कर गोवंश भरा हुआ था। जिस पर ट्रक को चालक से चलवाकर मय मोतबीर एवं जाब्ता के थाना बिछीवाड़ा लेकर आए, जहां पर ट्रक की फोटोग्राफी कराई एवं ट्रक को मजदूरों की सहायता से खाली कराया तो उपर के पार्टीशन में कुल 18 बछड़े व 12 बैल तथा नीचे के पार्टीशन में 16 बछड़े व 12 बैल कुल 61 पाए, जिसमे से 01 बैल व 02 बछड़े मृत पाए। ट्रक के टूल बोक्स में देखा तो उसमे ट्रक का इंश्योरेंस व परमिट आदि पाए। एसएचओ ने ट्रक को जब्त कर व मुलजिमान को गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की।

(18) पीडब्ल्यू 8 लालशंकर ने कथन किया है कि करीब तीन साल पहले गाडी पकडी थी जिसमे ंगाय के पछडे भरे हुए थे। गाडी में आग लग गई थी, जिसमें 13 बछडे जिंदा थे और 42 मर गए थे। चारा–पानी के लिए पुलिस ने उन्हें अस्थाई तौर पर जीवित बचे हुए बछडे सुपुर्द किये थे जिसकी फर्द सुपुर्दगी प्रदर्शपी 2 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है तथा पुलिस ने बैलों को जरिए फर्द प्रदर्शपी 4 जब्त किया, फर्द

सूरते हाल मृत बछड़े प्रदर्शपी 05 तथा ट्रक और कागजात जो जरिए फर्द प्रदर्शपी 06 जब्त किया था। बाद में मुलजिमान को जरिए फर्द गिरफ्तार किया था, जिनकी फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त आशिफ प्रदर्शपी 7 व फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त अकबर प्रदर्शपी 8 है उक्त फर्दो पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिमान मौके पर ट्रक में लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग ज्यादा लगने से मौके से भाग गए।

(19) पीडब्ल्यू 9 दिलीपसिंह ने कथन किया है कि वह दिनांक 10.04.2014 को थाना बिछीवाडा में थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन उसे सूचना मिली कि एक ट्रक गोवंश भर कर उदयपुर से गुजरात की तरफ जा रहा है। ट्रक नंबर आरजे–09 जीए 1974 था। वह नाकाबंदी करने साथ गया था। चौकी में देवेन्द्रसिंह, धर्मेन्द्रसिंह, धर्मपाल, गजराजसिंह, गजेन्द्रसिंह और धर्मेन्द्र कुमार बावर्दी उपस्थित मिले। नाकाबंदी रतनपुर चौकी के सामने रोड पर की थी, उन्होंने जब ट्रक को पकडने की कोशिश की तो ट्रक चालक ट्रक को तेज गति से चलाकर भाग गया तो उन्होंने उसका पिछा कर ट्रक को पकडा। ट्रक ड्राईवर का नाम अकबर और खलासी का नाम आसिफ था। ट्रक को चैक किया तो ट्रक दो पार्टिशन में था जिसमें उपर के पार्टिशन में 12 बैल और 18 बछडे तथा नीचे के पार्टिशन में 12 बैल व 16 बछडे जीवित तथा दो बछडे व एक बैल मृत अवस्था में मिले। मौके पर स्वतंत्र मौतबिरान को तलब किया। उसने पर्चा कायमी रिपोर्ट प्रदर्श पी 9 पेश की। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 10 है, फर्द सुपुर्दगी बैल/बछडे प्रदर्श पी 3 है, फर्द जब्ती बैल/बछडे प्रदर्श पी 4 है, फर्द जब्ती ट्रक प्रदर्श पी 6 है, फर्द गिरफ्तारी अभ्युिक्त आसिफ प्रदर्श पी 7 है। उसने दौराने अनुसंधान गवाहान अरफाज, साहिद रमेशचन्द्र सेलजा आदि क बयान उनक कथनानुसार लेखबद्ध किये। उसने नोटेरी पब्लिक के रजिस्टर की फोटो प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की थी। उसने आगामी अनुसंधान हेतु पत्रावली एएसआई अर्जूनसिंह को सौपी थी। बाद अनुसंधान पत्रावली अर्जूनसिह द्वारा उसे सौपी गई तो उसने आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया।

(20) पीडब्ल्यू 10 धर्मेन्द्र कुमार गवाह ने कथन किया है कि वह दिनांक 10.04. 2014 को चौकी रतनपुर में कान्स्टेबल के पद पर तैनात था। उस दिन एसएचओ ने करीब 6:15 बजे चौकी प्रभारी देवेन्द्रसिंह को फोन पर पूरे जाब्ते को बावर्दी उपस्थित होने के लिए बताया। समय 6:30 बजे एसएचओ मय जाब्ता चौकी पहुंचे। एसएचओ ने सभी को मुखबीर सूचना से अवगत कराते हुए बताया कि ट्रक नंबर आरजे–09 जी 1764 में गोवंश भरा होकर गुजरात तरफ जाने वाला है। कानि. गजेन्द्रसिंह को मौतबिर तलबी हेतु भेजा जो मौतबिर लेकर उपस्थित आया। मौतबिरान को सूचना से अवगत कराया और समय 6:45 एएम पर उदयपुर से अहमदाबाद जाने वाले रोड पर नाकाबंदी

शुरू की। सुबह करीब 7:45 पर मुखबीर की सूचना के मुताबिक ट्रक नंबर आरजे–09 जी 1764 उदयपुर तरफ से आता हुआ नजर आया जिसे उन्होंने रोकने का इशारा किया तो ट्रक चालक ट्रक को तेज गति से चलाता हुआ नाकाबंदी तोडता हुआ गुजरात की तरफ निकल गया। उन्होंने उसका पिछा किया तो अणसोल में ट्रक को चालक ने डिवाईडर के पास खडा किया। एक आदमी ड्राईवर साईड से तथा दूसरा आदमी खलासी साईड से कूदकर दौडने लगे। जाप्ते ने उनका पिछा कर दोनों को पकडा तो एक ने स्वयं का चालक होकर नाम अकबर व दूसरे ने स्वयं का खलासी होकर नाम आसिफ होना बताया। ट्रक में क्या भरा है, इस बारे में पूछा तो उसने ट्रक में बछडे व बैल भरे होना बताया। जिस पर ट्रक का तिरपाल हटाकर देखा तो अंदर डबल पार्टिशन में बछडे व बैल ठूंस–ठूंस कर भरे हो गर्दन व पाव रस्सी से बांधे हुए थे। ट्रक को लेकर थाने पर आये और फोटोग्राफी कराई। बछडो/बैलों को नीचे उतार गिनती की गई तो कुल 61 बैल व बछडे भरे हुए हो तीन बछडे/बैल मरे हुए निकले।

(21) पीडब्ल्यू 11 गजेन्द्र सिंह ने कथन किया है कि वह दिनांक 10.04.2014 को पुलिस चौकी रतनपुर थाना बिछीवाड़ा पर कान्स्टेबल के पद पर तैनात था। उस दिन हैड कानि देवेन्द्रसिंह ने समय 6.15 एएम पर जाब्ते को बताया कि एसएचओ द्वारा बताया गया है कि जाब्ते को लेकर चौकी पर तैयार रहना, जिस पर हैड कानि मय जाब्ते के चौकी पर तैयार थे और ट्रक बिछीवाडा से अहदाबाद जा रही थी। मुखबीर ने बताया कि उसमें गोवंश भरा हुआ है जिस पर एसएचओ ने उसे दो मौतबीर लाने भेजा तो रतनपुर बस स्टेण्ड से लालशंकर व दिनेश को लाकर उसने एसएचओ को पेश किया। ट्रक में कुल 61 गाय बछड़े थे जिसमें से करीब 3–4 मरे हुए थे। यह घटना सुबह की है, उस समय ड्राईवर अकबर था और खलासी आसिफ था। ट्रक का नम्बर आरजे–09 1764 था। कितने बछड़े घायल थे उसे मालूम नहीं।

(22) पीडब्ल्यू 12 देवेन्द्रसिंह ने कथन किया है कि आज से करीब दो तीन साल की बात है। उसने पुलिस थाने में फोटो खिचे थे। पुलिस ने गाये पकड़ी थी उ,स बात की उससे फोटोग्राफी कराई थी। फोटोग्राफ प्रदर्श पी 09 लगायत प्रदर्श पी 12 है।

(23) पीडब्ल्यू 13 अर्जूनसिंह ने कथन किया है कि वह दिनांक 10.04.2014 को पुलिस थाना बिछीवाडा में एएसआई के पद पर था। उस दिन मुकदमा नंबर 119/14 की तफतीश उसके जिम्मे हुई। उसने उस दिन जीवित बैल एवं बछड़ो को सरपंच बिछीवाडा को सुपुर्द किये थे। फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी 02 पर इ से एफ उसके हस्ताक्षर है जिसमें जीवित 24 बैल व बछड़े 34 थे। जीवित बछड़े व बैलो का मेडिकल बाबत तहरीर प्रदर्श पी 13 है, बैलो की इंजरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 14 से लगायत प्रदर्श पी 31 पर ए से बी पर उसके हस्ताक्षर है। बैल और बछड़ो को सरपंच को जरिए प्रदर्श पी

03 सुपुर्द किया था। उसने उक्त प्रकरण में प्रार्थी एवं अन्य गवाहो के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्व किये और पत्रावली तैयार कर एसएचओ को सुपुर्द की जिन्होंने बाद में संबंधित न्यायालय में चालान पेश किया।

(24) पीडब्ल्यू 14 सुरेन्द्रसिंह ने कथन किया है कि दिनांक 10.04.2014 की बात है, उस दिन सुबह 6.50 बजे थाने से सरकारी जीप से रवाना होकर 7.45 पर रतनपुर चौकी के सामने नाकाबन्दी कर रहे थे कि तेज गति से एक ट्रक आया, जिसको जाब्ते ने रोकने की कोशिश की परन्तु ट्रक ड्राईवर ने रोका नही और तेज गति से चलाने लगा? जिसे अनसोल डिवाईडर के पास जाब्ते ने पिछा कर पकड़ा। जाब्ते ने पिछा किया तो दो व्यक्ति गाड़ी छोड़कर भाग गये। उन दो व्यक्तियो का पिछा कर पकड़ा। दोनो के नाम पते दिलीपसिंह एसएचओ साहब ने पूछे थे जिन्होने अपना नाम अकबर व आशिक बताया था। एसएचओ साहब ने ट्रक के तीरपाल को हटाकर देखा तो अन्दर बैल और बछड़े डबल पार्टेशन में भरे हुए थे। उपर के भाग में 18 बैल और बछड़े थे और नीचे के भाग में 12 बैल व 16 बछड़े थे। नीचे के भाग में एक बैल व दो बछड़े मरे हुए थे। कुल गौवंश 61 थे। एसएचओ साहब ने लाईसेंस के बारे में पूछा और एसएचओ साहब ने अग्रिम कार्यवाही की।

(25) पीडब्ल्यू 15 जाहिद अली ने कथन किया है कि वर्ष 2014 की बात है। उसके नाम से ट्रक नंबर आरजे–12 09 जीए 1764 था उस समय वह ट्रक का रजिस्टर्ड मालिक था और उसने ट्रक को जरिए पॉवर ऑफ एटोर्नी उसके परीचित अकबर पिता गुलाब कालिया निवासी मुलतानपुरा मंदसौर मध्यप्रदेश को दिया था। इसके बाद उसका ट्रक अकबर ही चलाता था। वर्ष 2014 में पुलिस ने उसे एक नोटिस दिया, जब पता चला कि उसके ट्रक में मवेशी भरे थे और ट्रक को पुलिस थाना बिछीवाडा में पकडा था। नोटिस प्रपी 32 पर ए से बी भाग उसका जवाब है व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसने पुलिस को पॉवर ऑफ एटोर्नी पेश की थी जिसकी फर्द प्रपी 33 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पॉवर ऑफ एटोर्नी व ट्रक के कागजात की फोटोकापी पत्रावली में संलग्न है।

(26) पीडब्ल्यू 16 डॉ. अनिल शर्मा ने कथन किया है कि वह दिनांक 10.04.2014 को पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय, बिछीवाडा पर तैनात था। उस दिन थाना बिछीवाडा ने प्र.सं. 119/14 में जब्तशुदा बैल/बछडे व मृत बैल/बछडो का ईलाज कराने एवं पोस्टमार्टम करने हेतु तहरीर प्र.पी 13 दी थी जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसने उक्त तहरीर पर इस प्रकरण में एक बैल व दो बछडों के शव का परीक्षण कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र.पी 14 से लगायत प्र.पी 16 तैयार की थी जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मृत बैल के पीठ पर व पैरों पर खरोच के

निशान थे, इसके अलावा अन्य चोट नहीं थी। उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसने पाया कि ट्रक में क्षमता से अधिक मवेशी ठूंस–ठूंस के भरे होने से बैल का दम घुटने से उसकी मृत्यु हुई थी। इसके अलावा मृत दोनों बछडों के पीठ व पैरों पर खरोंचों की चोटे थी, जिनका पोस्टमार्टम करने पर पाया कि उक्त ट्रक में क्षमता से अधिक मवेशी ठूंस–ठूंस के भरे होने से दोनों बछडों का दम घुटने से उनकी मृत्यु हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र.पी 14 से लगायत प्र.पी 16 के ई से एफ भाग में उसकी राय अंकित है। मृत बैल की आयु 7–8 वर्ष की होकर 120 सेमी हो सफेद रंग का था। मृत दोनों बछडों की आयु क्रमशः 3 वर्ष व ढाई वर्ष की थी जिनकी उचांई 95 सेमी व 90 सेमी थी व रंग ब्राउन व सफेद था। इसी प्रकरण में कुल 58 बैल व बैल के बछडों के शरीर पर आयी चोटों का परीक्षण कर उसके द्वारा ईलाज किया गया था एवं 58 बैलों में से कुल 39 बैल व बैल के बछडों के शरीर पर साधारण प्रकृति की खरोंचे के निशानात थे। उक्त 39 बैल व बैल के बछडों के चोट प्रतिवेदन प्र.पी 17 से लगायत प्र.पी 31 तक संयुक्त रूप से बनाया गया था जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चोट प्रतिवेदन बनाये गये बैलों की अनुमानित उम्र 7–8 वर्ष की थी व बछडों की उम्र 2–3 वर्ष की थी जिनका विस्तृत विवरण पी.एम. रिपोर्ट व चोट प्रतिवेदन प्रपत्रों में कर रखा है।

(27) पीडब्ल्यू 17 दिनेश ने कथन किया है कि 8–9 साल पहले की बात है। वह रतनपुर हाईवे से अपने घर आ रहा था। वहां पर पुलिस ने नाकाबन्दी कर मवेशी भरा एक ट्रक पकडा था व दो व्यक्ति भी पकडे थे। पुलिस ने मौके पर कार्यवाही की थी और वहां पर उसके हस्ताक्षर कराये थे। फर्द जब्ती बैल व बैल के बछडे प्र.पी 4 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। 3 बैल व बछडे मर गये थे जिनकी फर्द प्र.पी 5 पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने ट्रक को जब्त किया था। फर्द जब्त ट्रक व कागजात प्र.पी 6 पर आई से जे उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था जिनकी फर्द गिरफ्तारी प्र.पी 7 व प्र.पी 8 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। जब्तशुदा मवेशियों को पुलिस ने चारापानी व अवेराई हेतु ग्राम पंचायत बिछीवाडा के सरपंच को सुपुर्द किये थे। फर्द सुपुर्दगी प्र.पी 2 पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है।

(28) विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिक्ता अभियुक्त के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सूक्ष्मता से अवलोकन किया।

(29) प्रकरण में पीडब्ल्यू 9 दिलीपसिंह परिवादी है, जो कि दिनांक 10.04.2014 को थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। पीडब्ल्यू 9 दिलीपसिंह के कथनानुसार उसे दिनांक 10.04.2014 को सूचना मिली कि एक ट्रक गोवंश से भरा उदयपुर से

गुजरात की तरफ जा रहा है, ट्रक नंबर आरजे–09 जीए 1764 है। वह नाकाबंदी करने कानि. सुरेन्द्र कुमार गंभीरसिंह व सुनिल के साथ गये थे तथा चौकी से देवेन्द्रसिंह, धर्मेन्द्रसिंह, धर्मपाल, गजराजसिंह गजेन्द्रसिंह व धर्मेन्द्र कुमार बावर्दी उपस्थित मिले। नाकाबंदी रतनपुर चौकी के सामने रोड पर की उन्होंने जब एक ट्रक को पकडने की कोशिश की तो ट्रक चालक ट्रक को तेज गति से चलाकर भाग गया। उनका पिछा कर ट्रक को पकडा तो ट्रक चालक ने अपना नाम अकबर व खलासी का नाम आसिफ था। ट्रक को चैक किया तो उसमें दो पार्टीशन थे, उपर वाले पार्टीशन में 12 बैल व 18 बछडे थे एवं नीचे वाले पार्टीशन में 12 बैल व 16 बछडे जीवित तथा 2 बछडे व 1 बैल मृत अवस्था में मिले। मौके पर स्वतंत्र मौतबिरों को तलब किया। पर्चा कायमी रिपोर्ट प्रपी 9 पेश की, फर्द सुपुर्दगी बैल प्रपी 3 के सी से डी भाग पर उसके एवं फर्द जब्ती बैल व बछडे प्रपी 4 के सी से डी भाग पर उसके और ई से एफ अकबर व जी से एच भाग पर आसिफ के हस्ताक्षर है। पीडब्ल्यू 9 दिलीपसिंह से किये गये प्रतिपरीक्षण में ऐसा तथ्य नहीं आया है जो साक्षी की साक्ष्य को अविश्वसनीय बना देवे।

(30) पीडब्ल्यू 9 दिलीपसिंह की सशपथ कथनों की ताईद में उसके साथ गये जाप्ता पीडब्ल्यू 1 देवेन्द्रसिंह कानि., पीडब्ल्यू 2 गंभीरसिंह कानि., पीडब्ल्यू 3 सुनिल कानि., पीडब्ल्यू 4 धर्मेन्द्रसिंह कानि., पीडब्ल्यू 6 धर्मपाल कानि. पीडब्ल्यू 7 गजराजसिंह कानि., पीडब्ल्यू 10 धर्मेन्द्र कुमार कानि., पीडब्ल्यू 11 गजेन्द्रसिंह कानि. व पीडब्ल्यू 14 सुरेन्द्रसिंह कानि. चालक ने सशपथ बयान दिये है। उक्त साक्षीगण की साक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य नहीं आये है जो साक्षीगण की साक्ष्य को अविश्वसनीय बना देवे। उक्त समस्त साक्षीगण की साक्ष्य में यदि कोई विरोधाभास आया है तो वह स्वाभाविक है, अभियोजन के लिये घातक नहीं है।

(31) मामला हाजा में पीडब्ल्यू 11 गजेन्द्रसिंह के कथनानुसार उसे एसएचओ साहब ने मौतबीर गवाह लाने के लिए भेजा, जिस पर वह लालशंकर और दिनेश नामक व्यक्तियों को लेकर आया था। प्रकरण में पीडब्ल्यू 8 लालशंकर व पीडब्ल्यू 17 दिनेश स्वतंत्र गवाहान है जिन्होंने पीडब्ल्यू 9 दिलीपसिंह के सशपथ कथनों की ताईद में ही बयान दिये है। इन साक्षीगण ने फर्द जब्ती बैल व बछडे प्रपी 4 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना कथन किया है। दौराने साक्ष्य साक्षीगण ने यह भी कथन किया है कि जब्तशुदा मवेशी को अवेराई हेतु ग्राम पंचायत बिछीवाडा को जरिए फर्द प्रपी 2 सुपुर्द किया था।

(32) पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह तथ्य पूर्णत साबित है कि दिनांक 10.04.2014 को ट्रक नंबर आरजे–09 जीए 1764 को दौराने नाकाबंदी रूकवाने का प्रयास किया गया तो ट्रक चालक और उसके साथ अभियुक्त आशिक ट्रक को लेकर भाग

गये, जिन्हें पीडब्ल्यू 9 दिलीपसिंह द्वारा मय जाब्ते के पकडा। उक्त पकडे गये व्यक्तियों में अभियुक्त भी था। अभियुक्त को मौके पर गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में अभियोजन साक्ष्य किसी भी प्रकार से संदेहास्पद या अविश्वसनीय नहीं हुई है।

(33) अभियोजन साक्ष्य से साफ जाहिर है कि वक्त घटना संबंधित ट्रक का परिवहन किया जा रहा था जिसमें गोवंश भरा हुआ था। उक्त ट्रक अभियुक्त आशिक के आधिपत्य में था। इस संबंध में अभियुक्त आशिक की ओर से कोई जवाबदेही भी नहीं है। ट्रक नंबर आरजे–09 जीए 1964 से कुल 61 बैल बछडे जब्त किये गये थे जिसमें 58 जीवित थे और 3 मृत अवस्था में पाये गये। अभियोजन साक्ष्य से यह भी पूर्णत स्पष्ट है कि उक्त गोवंश जो कि ट्रक से जब्त किया है, वह ठूंस–ठूंस के भरा हुआ था और उक्त गोवंश को अभियुक्त आशिक की जानकारी में परिवहन किया जा रहा था। बीना किसी लाईसेन्स के गौबंश का परिवहन किया जा रहा था। यह तथ्य संदेह से परे साबित है।

(34) यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मामला हाजा में यह तथ्य संदेह से परे साबित नहीं है कि गोवंश को राजस्थान के बाहर कहीं निर्यात के लिए ले जाया जा रहा था। किसी भी साक्षी ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि गोवंश राजस्थान के बाहर कहीं और निर्यात के लिए ले जाया जा रहा हो। मामले के तफ्तीश कुनिन्दा द्व ारा भी ऐसी कोई साक्ष्य नहीं दी है कि जब्त गोवंश को किसी विशिष्ट स्थान पर ले जाया जा रहा हो।

(35) अभियोजन साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे साबित नहीं है कि ट्रक नंबर आरजे–09 जीए 1764 से जब्त गोवंश को किसी कत्लखाने वध के लिए ले जाया जा रहा हो। इस संबंध में ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है कि जब्त गोवंश को अभियुक्त द्वारा वध किया या करवाया या उसे वध के लिए प्रतिस्थापित किया गया। तक पी.ड 6 धरमपाल का यह कथन कि अभियुक्तो ने बताया कि बछडे गुजरात बुचडखाने ले जा रहे थे, यह कथन विधिनुसार साक्ष्य मे एडमिसेबल नही है। मामला हाजा में जब्त जीवित गोवंश को जरिए फर्द सुपुर्दगी प्रपी 2 ग्राम पंचायत बिछीवाडा के सरपंच को सुपुर्द किया गया था, यह तथ्य पूर्णत स्पष्ट है। अभियोजन की ओर से पीडब्ल्यू 9 दिलीपसिंह व अन्य सभी चश्मदीद गवाहान की साक्ष्य को पीडब्ल्यू 16 डॉ. अनिल शर्मा की चिकित्सकीय साक्ष्य से संपुष्टि प्राप्त होती है। इस साक्षी ने एक बैल व 2 बछडो की पीएम रिपोर्ट प्रपी 14 से लगायत प्रपी 16 तक तैयार की थी तथा जिसके अनुसार ट्रक में क्षमता से अधिक मवेशी ठूंस–ठूंस कर भरे होने से बैल व बछडो का दम घूंटने से मृत्यु होना बताया है। साक्षी ने उक्त पीएम रिपोर्ट प्रपी 14 से लगायत प्रपी 16 को साबित किया है। साक्षी ने कुल 58 बैल व बछडे के शरीर पर आयी चोटों का परीक्षण

किया जिसमे से 39 बैल व बछडो के शरीर पर साधारण प्रकृति की खरोंचे एवं निशानात पाये। साक्षी ने उक्त बैल व बछडो के चोट प्रतिवेदन प्रपत्र संयुक्त रूप से बनाकर उक्त फर्द प्रपी 17 से लगायत प्रपी 31 तक को साबित किया है।

(36) इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का विवेचन करने के उपरान्त हम इस नतीजे पर पहुंचते है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त आशिक के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 6 व 9 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का नियमन)अधिनियम, 1995 संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अभियुक्त आशिक के विरूद्ध राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का नियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 3/8 व 5/8 के आरोप संदेह से परे साबित नहीं है। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का नियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 6 के अपराध हेतु दण्ड का प्रावधान इसी अधिनियम की धारा 8 में है।

:: आदेश ::

(37) अतः अभियुक्त आशिक पिता ईस्माईल तितरोदिया आयु 34 वर्ष निवासी बामणिया डेरा थाना यशोवर्धन नगर जिला मंदसौर (म.प्र.) को धारा 3/8, 5/8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का नियमन)अधिनियम, 1995 के आरोपों से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त आशिक को धारा 6/8 व 9 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का नियमन)अधिनियम, 1995 के आरोपों में दोषसिद्ध किया जाता है।

(शशि गजराना)
अपर सेशन न्यायाधीश, डूंगरपुर

(38) सजा के बिन्दु पर अभियुक्त को सुना गया।

(39) विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की बहस है कि अभियुक्त ने लम्बे समय तक अन्वीक्षा भुगती है, वह आर्थिक रूप से कमजोर है। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि की साक्ष्य नहीं है। अतः अभियुक्त को परीविक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जावे।

(40) हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मामले के समस्त तथ्यों परिस्थितियों के मध्येनजर अभियुक्त को परीविक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः अभियुक्त को निम्न प्रकार से दण्डित किये जाने के आदेश दिये जाते है :—

:: ***दण्डादेश*** ::

1) अतः अभियुक्त आशिक पिता ईस्माईल तितरोदिया आयु 34 वर्ष निवासी बामणिया डेरा थाना यशोवर्धन नगर जिला मंदसौर (म.प्र.) को राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का नियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 6/8 के आरोप में अभियुक्त को एक वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त पन्द्रह दिन का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतेगा तथा राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का नियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 9 के आरोप में अभियुक्त को एक वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त पन्द्रह दिन का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतेगा। उक्त सभी मूल सजाये साथ–साथ चलेगी।

2) अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में जो भी अवधि, पुलिस अभिरक्षा एवं न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई है वह अवधि उसे दी गई मूल सजा में समायोजित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

3) अभियुक्त बरजमानत आजाद है, उसका नियमानुसार सजा वारण्ट मूर्तिब किया जावे।

4) अभियुक्त के नियमित हाजरी बाबत पूर्व में पेश जमानत–मुचलके निरस्त किये जाते है।

5) प्रकरण में अभियुक्त अकबर मफरूर है। इसलिये पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से नोट डाला जावे कि अभियुक्त के मफरूर होने से पत्रावली का कोई भाग नष्ट नहीं किया जावे।

(शशि गजराना)
अपर सेशन न्यायाधीश, डूंगरपुर

यह निर्णय आज दिनांक 22.08.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(शशि गजराना)
अपर सेशन न्यायाधीश, डूंगरपुर